


11.2.2020

पत्रावली पेश। वादी एवं वकील वादी
अनुपस्थित। रुक-रुक कर तीन
बार आवाज लगवाई गई, बावजूद
इसके कोई उपस्थित नहीं। इससे
यह प्रतीत होता है कि वादी एवं
वकील वादी अपने दावे को लेकर
गम्भीर नहीं है अतः दावा
सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के
आदेश-9 (नियम-8) के तहत
अदम हाजिरी - अदम पैरवी में
इसी स्तर पर खारिज किया जाता
है।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर,
नम्बर से कम की जाकर
दाखिल दफ़्तर हो।


11/2/2020

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) सांचौर (जालोर)

